

फर्द अहकाम

उमरावसिंह

बनाम

ग्राम पंचायत बांसखोह

केस संख्या - 3/2001

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	30/11/2017	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट आज अनुपस्थित। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 05/03/2004 को श्री सनातन पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने हेतु अण्डरटेकिंग दी है। किन्तु श्री सनातन पारीक ने आज दिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं किया है। वकील रेस्पोजेन्ट ने दिनांक 22/08/2006 को सूचना दी है कि रेस्पोजेन्ट नं0 2 राजबाई का देहान्त हो गया है। अपीलान्ट ने आदिनांक तक न्यायालय के आदेश दिनांक 22/08/2006 की अनुपालना में कायम मुकाम प्रा0पत्र पेश नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलान्ट अपील को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट आदेश 9 नियम 5 सीपीसी व अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	

32
उपसुब्ब अधिका
बस्सी जिला-जयपुर